

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
-: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या 567/भू अ०

दिनांक- 21.08.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- नोनीहाट- बासुकीनाथ- केराबानी-पालोजोरी- बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु ग्राम-खागा, थाना-सारठ, थाना संख्या-470, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के कुल-0.31 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.31 एकड़ है और जो ग्राम-खागा, थाना- सारठ, थाना संख्या-470, अंचल-पालाजोरी, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	12	266	रैयती	तालाब	0.04	सीताराम साह पिता महाप्रताप साह वो मोतिलाल साह पिता रामबरण साह वो सीता देवी पति बद्री साह वो विरंची देवी पति गोपाल साह वो कमली देवी पति अशेश्वर साह वो रामेश्वर साह वो अशोक साह वो मनोज साह पिता राजू साह।	रघुआ डीह	रास्ता,	रघुवा डीह	दाग न०-264
2	12	270	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
3	12	268	रैयती	धानी-3	0.15	सीताराम साह पिता महाप्रताप साह वो मोतिलाल साह पिता रामबरण साह				
4	12	269	रैयती	धानी-3	0.08	कमली देवी पति अशेश्वर साह वो रामेश्वर साह वो अशोक साह वो मनोज साह पिता राजू साह।				
कुल योग					0.31					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

4/8/17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
16/8/17

16-08-2017
झारखण्ड

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 562 / भू अ0, देवघर, दिनांक 21/08/2017 501

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

16/8/17

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
16/8/17

18-08-2017
अपर सहायक
विभागाध्यक्ष

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।